भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3358

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष को बढ़ावा देने संबंधी पहलें

3358. श्री एम. मल्लेश बाबू:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी (आयुष) औषधियों के उत्पादन, गुणवत्ता, अनुसंधान, विपणन तथा वैश्विक स्वीकार्यता को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई नई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुष औषधि क्षेत्र में कार्यरत निर्माताओं, स्टार्ट-अप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता, प्रोत्साहनों और प्रचारात्मक योजनाओं का कर्नाटक सहित योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आयुष औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण, फार्माको-विजिलेंस तथा निर्यात संवर्धन को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देशभर में अस्पतालों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, जन औषधि केंद्रों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रमाणित आयुष औषधियों की उपलब्धता तथा उनके संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष औषधियों के उत्पादन, गुणवत्ता, अनुसंधान, विपणन तथा वैश्विक स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक पहलें की गई हैं। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

1. आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई): यह योजना आयुष औषधि क्षेत्र में गुणवत्ता आश्वासन, मानकीकरण, बेहतर विनिर्माण प्रथा (जीएमपी) का अनुपालन, अवसंरचना परीक्षण, औषध-संहिता मानकों के विकास तथा क्षमता निर्माण को समर्थन प्रदान करती है।
2. आयुर्ज्ञान योजना: यह योजना आयुष प्रणालियों में साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, नवाचार, नैदानिक अध्ययन तथा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देती है।
3. भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच): आयुष औषधियों के लिए भेषजसंहिता मानकों, औषध-सूचियों तथा गुणवत्ता मानकों का विकास एवं प्रकाशन।
4. अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना (आईसी योजना): यह योजना भारतीय आयुष औषधि निर्माताओं तथा आयुष सेवा प्रदाताओं को आयुष उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करती है, यह आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार, विकास एवं मान्यता को सुगम बनाती है; हितधारकों के मध्य परस्पर सहयोग तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुष के

बाज़ार के विकास को प्रोत्साहित करती है; तथा विदेश में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के आयोजन के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता एवं रुचि को बढ़ावा देने और उसे सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शैक्षणिक गतिविधियों तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है।

5. आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुषऐक्सिल): यह परिषद अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों तथा निर्माताओं एवं सेवा प्रदाताओं के क्षमता निर्माण के माध्यम से निर्यातकों को सहायता प्रदान कर आयुष उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करती है।

(ख) आयुष मंत्रालय, आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत आयुष औषधालयों तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को क्रमशः विश्व स्वास्थ्य संगठन की बेहतर विनिर्माण प्रथा (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) तथा राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) जैसे उच्च मानकों को प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। योजना के घटक निम्नलिखित हैं:-

i. उच्च मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष औषधालयों तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन।
ii. भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी सहित एएसयूएंडएच औषधियों की औषधिय सतर्कता।
iii. आयुष औषधियों के लिए तकनीकी मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों सहित केंद्रीय एवं राज्य नियामक तंत्र का सुदृढ़ीकरण।
iv. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) तथा अन्य संबंधित वैज्ञानिक संस्थानों एवं औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों एवं सामग्रियों के मानकों के विकास तथा उनके प्रत्यायन/प्रमाणीकरण हेतु सहायता।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सहित राज्यवार आयुष औषधालयों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं, जिनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भी शामिल हैं, को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण संलग्नक-I में दिया गया है।

(ग) आयुष औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण, औषधि सतर्कता तथा निर्यात को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाएं गए हैं:

1. आयुष औषधियों के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषधि नियम, 1945 में पृथक नियामक प्रावधान किए गए हैं। विनिर्माण इकाइयों तथा औषधियों के अनुज्ञापन के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना, जिसमें औषधियों की सुरक्षा एवं प्रभावकारिता के प्रमाण, आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी तथा होम्योपैथी औषधियों के लिए क्रमशः औषधि नियम, 1945 की अनुसूची 'टी' एवं अनुसूची 'एम-I' के अनुसार बेहतर विनिर्माण प्रथा (जीएमपी) का अनुपालन तथा संबंधित औषध-संहिताओं में विहित गुणवत्ता मानकों का पालन करना, निर्माताओं के लिए अनिवार्य है। आयुष औषधियों की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता एवं सामर्थ्य से संबंधित परीक्षण करने के लिए औषधि नियम, 1945 के नियम 160क से 160ञ के अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को अनुमोदित किया जाता है। वर्तमान में, औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे परीक्षण करने हेतु मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 118 निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।
2. औषधि निरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित विनिर्माण इकाइयों अथवा खुदरा विक्रेताओं से नियमित रूप से औषधियों के नमूने एकत्र कर गुणवत्ता परीक्षण के लिए उन्हें औषधि नियंत्रण

विभाग के अधीन औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजते हैं। यदि कोई नमूना 'मानक गुणवत्ता का नहीं' पाया जाता है, तो बाजार में संबंधित औषधियों की बिक्री पर रोक लगाने तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उपयुक्त विधिक कार्रवाई सहित आवश्यक कार्यवाई शुरू की जाती है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि निरीक्षकों द्वारा लिए गए वैध नमूनों के परीक्षण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 34 औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हैं।

3. आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी औषध-संहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच) द्वारा आयुष औषधियों के लिए औषध-संहिता मानकों तथा औषध-सूची विनिर्देशों का विकास किया जाता है, ये आयुष औषधियों की पहचान, शुद्धता एवं सामर्थ्य निर्धारित करने के लिए आधिकारिक संदर्भ ग्रंथ के रूप में कार्य करते हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत इन मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। पीसीआईएम एंड एच आयुष औषधियों के लिए अपीलीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है, और साथ ही, यह आयुष औषधियों की गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं परीक्षण पद्धतियों पर औषधि नियामक प्राधिकरणों, औषधि विश्लेषकों तथा अन्य हितधारकों के लिए नियमित रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।

4. आयुष औषधियों के लिए एओजीयूएसवाई के अंतर्गत संचालित भेषजसतर्कता कार्यक्रम देशव्यापी त्रि-स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें 01 राष्ट्रीय औषधि सतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी), 05 मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केंद्र (आईपीवीसी) तथा 97 परिधीय भेषजसतर्कता केंद्र (पीपीवीसी) स्थापित हैं। इन केंद्रों को संदिग्ध प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं की निगरानी करने तथा भ्रामक विज्ञापनों की सूचना संबंधित राज्य नियामक प्राधिकरणों को उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है, ताकि दोषी व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के माध्यम से देशभर में विभिन्न हितधारकों को औषधियों की गुणवत्ता, मात्रा-निर्धारण तथा औषधियों से संबंधित अन्य विषयों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जाता है। आयुष औषधियों के लिए औषधि सतर्कता प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय ने 30 मई, 2025 को "आयुष सुरक्षा" नामक सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल भ्रामक विज्ञापनों एवं आपत्तिजनक विज्ञापनों का अभिलेखीकरण करने तथा आयुष औषधियों से संबंधित संदिग्ध प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं (एडीआर) की रिपोर्टिंग के लिए विकसित किया गया है।

5. इसके अतिरिक्त, आयुष औषधियों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष उत्पादों के गुणवत्ता आश्वासन एवं प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

 i. आयुष औषधियों के लिए डब्लूएचओ का औषधीय उत्पाद प्रमाण-पत्र (डब्लूएचओ-सीओ पीपी), हर्बल औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी प्रतिवेदन श्रृंखला (टीआरएस) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के सत्यापन हेतु आयुष प्रकोष्ठ में पदस्थ औषधि निरीक्षकों, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के औषधि निरीक्षकों तथा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा संयुक्त निरीक्षण किए जाने के उपरांत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा जारी किया जाता है।

 ii. आयुष मंत्रालय ने आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुषऐक्सिल) के माध्यम से आयुष गुणवत्ता चिह्न (एक्यूँएम) पहल प्रारंभ की है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, विश्व स्वास्थ्य संगठन की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (डब्लूएचओ-जीएमपी), आयुष विशिष्ट चिन्ह तथा अन्य

मान्यता प्राप्त गुणवत्ता प्रमाणनों सहित, सक्षम सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी वैध गुणवत्ता प्रमाण-पत्रों एवं वैधानिक अनुमोदनों की जाँच एवं सत्यापन के उपरांत, यथाप्रयोज्य आयुष गुणवत्ता चिह्न (एक्यूएम) प्रदान किया जाता है।

(घ) देशभर में प्रमाणित आयुष औषधियों की उपलब्धता बढ़ाने तथा उनके संबंध में जन-जागरूकता में वृद्धि के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अपनी राज्य वार्षिक कार्ययोजना (ऐसाएएपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) तथा सरकारी आयुष अस्पतालों/औषधालयों के लिए आवश्यक आयुष औषधियों की आपूर्ति हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।
2. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय)डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित (तथा आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थितआयुषएक्सिल, ने आयुष औषधियों की डिजिटल घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 28 जनवरी, 2026 को ज़ेप्टो के साथ तथा आयुष औषधियों के अंतरराष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 25 मई, 2026 को भारतीय मसाला बोर्ड के साथ क्रमशः समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
3. सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियानों (आईईसी), अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तथा आयुर्वेद दिवस के आयोजन, सोशल मीडिया अभियानों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, मेलों, सम्मेलनों एवं अन्य जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें की जा-संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से जन- रही हैं।

संलग्नक -I

आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के अंतर्गत "उच्च मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष औषधालयों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन" घटक के तहत, आयुष औषधि क्षेत्र से जुड़े निर्माताओं, जिनमें स्टार्ट-अप तथा एमएसएमई भी शामिल हैं, को पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सहित राज्यवार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं	**वित्त वर्ष**	**राज्य**	**सरकारी/निजी/सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू)**	**विवरण**	**जारी की गई राशि (रु. में)**
1	2023-24	मध्य प्रदेश	निजी	श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश	9,108,000
2		केरल	निजी	सीताराम आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड, त्रिशूर, केरल।	5,000,000
3		केरल	निजी	पंकजकस्तूरी हर्बल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पूवाचल, केरल	5,000,000
4		राजस्थान	निजी	बी. जैन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, अलवर, राजस्थान	5,000,000
5		असम	सार्वजनिक उपक्रम	असम आयुर्वेदिक उत्पाद, गुवाहाटी, असम (पीएसयू)	4,559,519
6		जम्मू और कश्मीर	सरकारी	सरकारी फार्मेसी, जम्मू और कश्मीर	10,500,000
7		गुजरात	सरकारी	राज्य फार्मेसी, राजपीपला, गुजरात	4,420,248
8		अरुणाचल प्रदेश	सरकारी	राज्य फार्मेसी, अरुणाचल प्रदेश	6,702,164
		कुल			**105,153,187**
9		अरुणाचल प्रदेश	सरकारी	राज्य फार्मेसी, अरुणाचल प्रदेश	7,042,077
10		केरल	निजी	पंकजकस्तूरी हर्बल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पूवाचल, केरल	4,432,807
11	2024-25	तमिलनाडु	सरकारी	राज्य सरकार ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, तमिलनाडु	5,100,000
12		राजस्थान	निजी	बी. जैन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, अलवर, राजस्थान	14,454,189
13		गुजरात	सरकारी	राज्य फार्मेसी, राजपीपला, गुजरात	20,000,000

14		तमिलनाडु	सार्वजनिक उपक्रम	राज्य सरकार फार्मेसी, तमिलनाडु मेडिसिनल प्लांट फार्म्स एंड हर्बल मेडिसिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TAMPCOL), तमिलनाडु	4,500,000
15		अरुणाचल प्रदेश	सरकारी	राज्य फार्मेसी, अरुणाचल प्रदेश	3,108,000
		कुल			**137,620,447**
16		पंजाब	निजी	श्री धन्वंतरि हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड	28,500,000
17		केरल	निजी	सीताराम आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड, त्रिशूर, केरल।	25,000,000
18		अरुणाचल प्रदेश	सरकारी	राज्य फार्मेसी, अरुणाचल प्रदेश	3,594,164
19	2025-26	केरल	सार्वजनिक उपक्रम	फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन (आईएम) केरल लिमिटेड, कुट्टानेल्लूर पीओ त्रिशूर	27,801,008
20		मध्य प्रदेश	सरकारी	राज्य सरकार फार्मेसी, ग्वालियर	9,149,799
		कुल			**167,459,733**
		कुल योग			**410,233,367**